पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 27/2023

अनवान :

सुभाष पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
2. धर्मादेवी पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
3. दर्शनादेवी पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
4. प्रवेश कुमार पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
5. पूजा पुत्री सुभाष जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
6. कान्ता पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
7. बाला कुमार पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
8. सुशीला पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
9. बिमला देवी पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूंगरसिंहपुरा के खाता सं0 37/34 के ख0सं0 203 की 27.4430है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 बनवारी के नाम 1/3 हिस्सा एवं रोही डूंगरसिंहपुरा के खाता सं0 38/35 के ख0सं0 25 की 3.7050है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 बनवारी के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही जिगासरी बडी के खाता सं0 37/72 के ख0सं0 246 की 3.0730है0, ख0सं0 249 की 1.2900है0, ख0सं0 337 की 6.4370है0 की कुल 10.8000है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 बनवारी के नाम 2701/21600 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बनवारी अकेले की बजाए वादी सुभाष व प्रतिवादी सं0 1 बनवारी को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं0 6 ता 9 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.5.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner